APP-A
Crime-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

लत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

....

कदमा .... नं. .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील वादीगण और आइन्दा पेशी करना नहीं चाहते हैं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तावना चाहते [illegible] वास्ते हेतु दिनांक 16.7.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	देवाराम [illegible] मानलाल [illegible] [illegible] नेमाराम
16.7.21 प्रस्तावना पेश। अनुसार उभय पक्षकारान का बार-बार हेतु सार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत विवेचन प्रस्तावना के [illegible] बार [illegible] शामिल [illegible] किया [illegible] प्रस्तावना [illegible] बार [illegible] [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

देवाराम   कैलाश   भ.नि. कुशली देवी   रेशमा   भंवर लाल

तथा हमारा वाद साक्ष्यो के द्वारा भी साबित होता है गवाह के कथनों अनुसार वादग्रस्त आराजी का वाद पत्र में अंकित अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त है तथा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ही हमारा अलग अलग बंट किया हुआ है तथा इसी अनुसार पक्षकारान की सींवे माठे मौके पर कायम है पक्षकारान अलग अलग बंट करवाना चाहाते है। जिससे हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने निवेदन किया की वादी का वाद अनुसार ही वाद स्वीकार किया जाकर इसीनुसार दावा डिक्री फरमाई जावे ।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद के समर्थन में मौजा पाचौड़ी की जमाबन्दी नकल संवत् 2077 जो प्रदर्ष 1 है नजरी नक्शा जो प्रदर्श 02 है, खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी जो प्रदर्ष 03, 04 है, बैचाननामा दिनांक 06.04.2021 जो प्रदर्श 05 है आदी पेश किये है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं साक्ष्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पक्षकारान उक्त विवादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है और रिकोर्डेड खातेदार को अपनी आराजी का बंटवाड़े कराने का हक व अधिकार निहीत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है । वादी का वाद अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है तथा स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय

अतः वादी का वाद, वाद अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय का डिक्री पर्चा स्टाम्प डयूटी पेश के पश्चात जारी हो। और तहसीलदार खींवसर को इसकी पालना हेतु लिखा जावे।

1. वादी श्री देवाराम के बंट कब्जा काश्त में खसरा नबंर 582 रकबा 9.1297 हैक्टेयर में से 1.7998 हैक्टेयर उतरी पूर्वी कोने में बंटवाड़ा कर खातेदारी घोषित किया जाता है
2. वादी श्री केलाश के बंट कब्जा काश्त में खसरा नबंर 582 रकबा 9.1297 हैक्टेयर में से 2.0767 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी कोने में बंटवाड़ा कर खातेदारी घोषित किया जाता है
3. वादी पूसी के बंट कब्जा काश्त में खसरा नबंर 582 रकबा 9.1297 हैक्टेयर में से 2.2824 हैक्टेयर पूर्वी दक्षिणी कोने में बंटवाड़ा कर खातेदारी घोषित किया जाता है
4. वादी रेशमादेवी के बंट कब्जा काष्त में खसरा नबंर 582 रकबा 9.1297 हैक्टेयर में से 1.5856 हैक्टेयर पश्चिमी दक्षिणी कोने में बंटवाड़ा कर खातेदारी घोषित किया जाता है
5. श्री भंवरलाल पुत्र किशनाराम के बंट कब्जा काश्त में खसरा नबंर 582 रकबा 9.1297 हैक्टेयर में से 0.2853 हैक्टेयर बीच में बंटवाड़ा कर खातेदारी घोषित किया जाता है
6. शेष प्रतिवादीगण के बंट कब्जा काश्त में खसरा नबंर 582 रकबा 9.1297 हैक्टेयर में से शेष हिस्सा पश्चिमी तरफ केलाश से दक्षिणी रेशमा से उतरी व भंवरलाल से पश्चिमी तरफ हिस्सा रखा गया बंटवाड़ा कर खातेदारी घोषित किया जाता है।

पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

राजकेश मीणा RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

यह निर्णय आज दिनांक 16.7.21 को सरेइजलास सुनाया गया।

राजकेश मीणा RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर